संख्या 28 /उन्तीस/04/2 (62पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 1 9मार्च, 2005

विषयः–वित्तीय वर्ष 2004–05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के चालू निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रबन्ध निदेशक, कार्यालय, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के पत्रांक 4066/जनजाति दिनांक 08–11–2004 एंव पत्रांक 42 /जनजाति/ दिनांक 04.01.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि श्री राज्यपाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान) के अंतर्गत संलग्नक में उल्लिखित चालू ग्रामीण पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु रू0 489.05 (रू0 चार करोड़ नवासी लाख पॉच हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम–15 के अनुसार पुनर्विनियोजन से वहन करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– प्रस्तर–1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर युक्त बिल जनपद देहरादून के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्कतानुसार ही किया जायेगा।

3– स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यो पर उ0 प्र0 शासन के वित्त लेखा अनुभाग –2 के शासनादेश सं0– ए–2–87(1)/दस–97–17(4)/75 दिनांक 27–2–97 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यो की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्जेज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्जेज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नही होगी। इस कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर आगणन में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

क्रमशः.2.

4– उक्त स्वीकृत धनराशि से संलग्नक में उल्लिखित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का कियान्वयन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा। योजनावार/जनपदवार स्वीकृत धनराशि के जनपदवार आवंटन की सूचना धनराशि आहरण के एक सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय।

5– स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति नही हैं अथवा जो विवादग्रस्त है।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलो में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशो के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यो पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7– कार्य की समयबद्वता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशाशी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।

8– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही योजनाओं पर किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की गई है। एक योजना की धनराशि दूसरी योजना पर कदापि व्यय न की जाय। यदि ऐसा होना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

9– योजनाओं को त्वरित गति से पूर्ण कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति योजनावार मासिक रूप से शासन को सूचित की जायगी।

10– उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या –13 के लेखाशीर्षक –2215–जलापूर्ति तथा सफाई 01–जलापूर्ति–आयोजनागत–102–ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान–91–ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलोत्सारण योजनाओं के लिए अनुदान (जिला योजना)–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

10– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं0 911/ख/वि0 अनु0–3/2005, दिनांक 18 मार्च, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोक्त

भवदीय,

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

क्रमश..3.

संख्या 28 (1)/उन्तीस/04/2 (62 पे0)/2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– मण्डलायुक्त गढवाल/कुमायूँ।
4– जिलाधिकारी,,देहरादून/उत्तरकाशी/टिहरीगढवाल/पौड़ी गढवाल/चम्पावत /बागेश्वर/नैनीताल।
5– मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।
6– मुख्य अभियन्ता (गढवाल/कुमायूँ) उत्तरांचल पेयजल निगम।
7– समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
8– वित्त अनुभाग–3/नियोजन प्रकोष्ठ/बजट सैल, उत्तरांचल शासन।
9– संयुक्त विकास आयुक्त गढवाल/ कुमायूँ मण्डल।
10– आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।
11– संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।
12– निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, देहरादून।
13– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
14– निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर,देहरादून।

आज्ञा से,

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

शासनादेश संख्या28 /उन्तीस/04-2(62पे0)/2004 दिनांक 19 मार्च, 2005 का

संलग्नक

क्र0सं0	जनपद/योजना का नाम	कुल अनु0लागत	2004-05 में अवमुक्त धनराशि	अवशेष मॉग की धनराशि
	उत्तरकाशी			
1	कुमाली	50.74	28.79	21.95
	योग- उत्तरकाशी	148.68	28.79	21.95
	टिहरी गढ़वाल			
2	पापड़ा	53.53	19.85	33.68
3	आराकोट आई0टी0आई0	53.91	43.91	10.00
4	ख्यारसी पुनर्गठन	34.34	14.76	19.58
5	द्वारी हेमलेट	12.38	9.38	3.00
6	दस एकड़ गाज	34.44	21.92	12.52
	योग-टिहरी गढ़वाल	**188.60**	**109.82**	**78.78**
	देहरादून			
7	टमाटीवाला	10.71	10.66	0.05
8	लोहारीगढ़	23.77	11.31	12.46
9	चुनियाली	26.53	06.51	20.02
10	मोहम्मदपुर	15.05	12.11	2.94
11	जीवनगढ़ पार्ट-1	69.45	37.84	31.61
12	जीवनगढ़ पार्ट II	81.47	76.27	5.20
	योग देहरादून	**226.98**	**154.70**	72.28
	पौड़ी			
13	द्वारी हरि0बस्ती	15.64	-	15.64
14	किनाथ	39.99	28.96	11.03
15	नौटियालगॉव	15.00	-	15.00
16	पावौ पुनर्गठन	226.20	37.76	188.44
	योग-पौड़ी	296.83	66.72	230.11
	चम्पावत			
17	भुलवा	33.89	21.39	12.50
18	खारगूट	17.02	15.30	1.72
19	पाटनपाटनी	25.77	22.51	3.26
	योग-चम्पावत	76.68	59.20	17.48

क्रमशः..... 2

	बागेश्वर			
20	चमडथल	6.00	–	6.00
	योग–बागेश्वर	6.00	–	6.00
	नैनीताल			
21	कालाढूंगी जोन–1,पार्ट–II	75.64	19.00	56.64
22	हरिनगर अक्सोड़ा	64.61	58.80	05.81
	योग– नैनीताल	140.25	77.80	62.45
	महायोग	980.08	497.03	489.05

(रू0 चार करोड़ नवासी लाख पाँच हजार मात्र)

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

बी0एम0-15 पुनर्विनियोग 2005-06 संलग्नक-2

आयोजनागत

नियन्त्रक अधिकारी- प्रबन्ध निदेशक,उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।

प्रशासनिक विभागः- पेयजल विभाग, उत्तरांचल शासन ।

धनराशि (रू0 हजार में)

प्राविधान तथा लेखाशीर्षक	मानक मदवार अद्यावधिक स्थिति	वित्तीय वर्ष के अवशेष अवधि अनुमानित व्यय	अवशेष(सरप्लस)	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-4 में अवशेष राशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ-1 में अवशेष धनराशि।
1	2	3	4	5	6	7	8
2215-जलपूर्ति तथा सफाई				2215- जलपूर्ति तथा सफाई			(क) भारत सरकार से धनराशि सीधे अवमुक्त होने के कारण प्राविधान में बचत हुई। (ख) वास्तविक आवश्यकता के कारण।
01-जलपूर्ति- आयोजनागत				01- जलपूर्ति-आयोजनागत			
102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम				102- ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम			
01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				00- अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान			
01-त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना 100% केन्द्रपोषित/एआरडब्लूएसपी				91- ग्रामीण पेयजल योजना तथा जलोत्सरणी योजनाओं के लिए अनुदान (सी0पी0)			
20-सहायक अनुदान/अंशदान राजसहायता 147067	–	–	147067(क)	00-20- सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता 48905(ख)	144481	98162	
147067	–	–	147067	48905	144481	98162	

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(कुंवर सिंह)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-3
संख्या - 911(1)/वित्त अनु0-3/2006
देहरादून : दिनांक 18 मार्च 2006
पुनर्विनियोजन स्वीकृत

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

सेवा में,
महालेखाकार
उत्तरांचल, देहरादून

संख्या 78-(2)/उन्तीस/06-2-(62पे0)/2004, तद दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1-कोषाधिकारी/ जिलाधिकारी, देहरादून । 2 वित्त अनुभाग-3,उत्तरांचल